



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262807

क्रमांक : 3832 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 18/06/2015

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2015 के निर्णयानुसार सर्वतोमुखी समाधान कालेज, बेरला रोड, फरी, बेमेतरा (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.B.A. -II	30	2013-14
2.	B.Com. - II- (Compulsory Subject with Computer Application)	30	
3.	B.C.A. - II	30	

शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
4. बी.बी.ए., बी.काम. एवं बी.सी.ए. तृतीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से दें।
5. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
6. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति शीघ्र पूर्ण करेंगे।
8. परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

आदेशानुसार,



उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 3833 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 18/06/2015

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा,
5. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

- 1) The college has insufficient Infrastructure in terms of
a) The \Rightarrow Building, class rooms, furniture, land etc.
- 2) Non faculty are appointed under college code 28 but
have teachers, who are taking classes
- 3) The college has no permanent principal
- 4) ~~has 30~~ \Rightarrow The college has 30 PCs but needs 15 more
 \Rightarrow Licenced Softwares are to be purchased as
per syllabus.
- 5) Books worth Rs 10,000 are to be purchased
for BBA, B.Com & BCA courses

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं
हस्ताक्षरण

Rajendra Singh

(RPDAS)
8/5/15

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-
पता

Jainar

08-05-2015

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं
नाम-पता

Dr. D. P. Chandraaker

08/05/2015

दिनांक

8/5/15

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

===